



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112021-231273
CG-DL-E-20112021-231273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4419]
No. 4419]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4786(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3334(अ) तारीख 13 अगस्त 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 3084 तारीख 16 अगस्त 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 24 अगस्त 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुक:अरसीकेरे		जिला :हासन	राज्य :कर्नाटक	
क्रमां क	गाँव का नाम	सर्वेनं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1. महादेवराहल्ली	52/1	00	02
2		58/1	00	01
3		84/4	00	01

4	2.गोल्लरहल्ली	110	00	08
5		78/2	00	01
6		79/3	00	01
7		76/7	00	15
8		5/4	00	01
9		5/1	00	07
10		9/7	00	02
11		121	00	13
12		124/1	00	06
13		124/2	00	06
14		124/3	00	02
15		112/2	00	02
16		122	00	14

17	3. बोरेहल्ली	70/2	00	06
18		70/4	00	01
19		67	00	01
20		102	00	17
21		38/1	00	08
22		41/3ए	00	07
23		41/2	00	05
24		30/2	00	01

25		42/6	00	01
26		43/5	00	08
27		43/3	00	10
28		107	00	11
29		108	00	12

30	4. बीकम्मरगट्टा	19/3	00	04
31		19/4	00	09
32		40/1	00	09
33		40/2	00	01
34		32	00	23
35		30	00	32
36		42	00	12
37		41	00	10
38		39	00	09

39	5. बिसलेहल्ली	35/5	00	01
40		34/2	00	07
41		34/1	00	04
42		30/6	00	16
43		80	00	10
44		81	00	22
45		76	00	11
46		86	00	11
47		85	00	21
48		79	00	05

49	6. रंगापुरा काव्लु 2	10/1	00	10
50		10/3	00	08
51		10/2	00	07
52		209	00	27
53		9/5	00	05
54		9/4	00	05
55		9/1	00	22

56	7. बेलागुम्बा	206/1	00	01
----	---------------	-------	----	----

57		164/13	00	04
58		164/4	00	03
59		164/11	00	03
60		164/10	00	04
61		187/4	00	02
62		187/5	00	03
63		203/2बी	00	02
64		203/1	00	05
65		129/3	00	10
66		128/5	00	01
67		132/4	00	03
68		134/3	00	01
69		135/6	00	06
70		135/7	00	01
71		136/9	00	07
72		141/3	00	02
73		145/4	00	05
74		145/1बी	00	02
75		147/8	00	03
76		102/7	00	02
77		104/4ए	00	01
78		100/8	00	09
79		213	00	03

80	8. रंगापुरा कावलु1	1	00	10
----	--------------------	---	----	----

81	9. सलूपरहल्ली	54/2	00	02
82		72	00	20
83		73	00	25

84	10. मैलानहल्ली	148	00	02
85		129	00	02
86		108/2	00	01
87		सर्वे नंबर 146/6 & दक्षिण रेलवे लाइन के बीच में गाँव की जमीन	00	04

88	11. हरलकट्टा	71	00	02
89		106	00	01
90		61/6	00	01
91		61/1	00	01
92		27	00	02

[फा.सं.आर-12030(27)/2/2019-ओआर-I/E-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4786(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3334(E) dated the 13th August, 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.3084 dated the 16th August, 2021, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Telangana for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 24th August 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

SCHEDULE				
Taluka : Arsikere		District : Hassan	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Mahadevarahalli	52/1	00	02
2		58/1	00	01
3		84/4	00	01
4	2.Gollarahalli	110	00	08
5		78/2	00	01
6		79/3	00	01
7		76/7	00	15
8		5/4	00	01

9		5/1	00	07
10		9/7	00	02
11		121	00	13
12		124/1	00	06
13		124/2	00	06
14		124/3	00	02
15		112/2	00	02
16		122	00	14

17	3.Borehalli	70/2	00	06
18		70/4	00	01
19		67	00	01
20		102	00	17
21		38/1	00	08
22		41/3A	00	07
23		41/2	00	05
24		30/2	00	01
25		42/6	00	01
26		43/5	00	08
27		43/3	00	10
28		107	00	11
29		108	00	12

30	4.B Kammaragatta	19/3	00	04
31		19/4	00	09
32		40/1	00	09
33		40/2	00	01
34		32	00	23
35		30	00	32
36		42	00	12
37		41	00	10
38		39	00	09

39	5.Bisalehalli	35/5	00	01
40		34/2	00	07
41		34/1	00	04
42		30/6	00	16
43		80	00	10
44		81	00	22
45		76	00	11
46		86	00	11
47		85	00	21
48		79	00	05

49	6.Rangapura kavalu 2	10/1	00	10
50		10/3	00	08
51		10/2	00	07
52		209	00	27
53		9/5	00	05
54		9/4	00	05
55		9/1	00	22

56	7.Belagumba	206/1	00	01
57		164/13	00	04
58		164/4	00	03
59		164/11	00	03
60		164/10	00	04
61		187/4	00	02
62		187/5	00	03
63		203/2B	00	02
64		203/1	00	05
65		129/3	00	10
66		128/5	00	01
67		132/4	00	03
68		134/3	00	01
69		135/6	00	06
70		135/7	00	01
71		136/9	00	07
72		141/3	00	02
73		145/4	00	05
74		145/1B	00	02
75		147/8	00	03
76		102/7	00	02
77		104/4A	00	01
78		100/8	00	09
79		213	00	03

80	8.Rangapura kavalu 1	1	00	10
----	-------------------------	---	----	----

81	9.Saluparahalli	54/2	00	02
82		72	00	20
83		73	00	25

84	10.Mailanahalli	148	00	02
85		129	00	02
86		108/2	00	01
87		Village Land in between survey number Southern Railwayline & 146/6	00	04
88	11.Haralakatta	71	00	02
89		106	00	01
90		61/6	00	01
91		61/1	00	01
92		27	00	02

[F. No. R- 12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]
P. SOMAKUMAR, Under Secy.